



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-29102020-222818
CG-MH-E-29102020-222818

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]
No. 455]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 29 अक्टूबर, 2020

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध)

(दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/38.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (छ) और धारा 12क के खंड (घ) एवं खंड (ङ) के साथ पठित धारा 30 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 कहा जा सकेगा।
- वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त (लागू) होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 में,-
 - विनियम 7क में, उप-विनियम (1) में, खंड (ज) में, उप-खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

“स्पष्टीकरण.- यह तभी समझा जाएगा कि सूचना समय रहते दी गई है, जब बोर्ड को पूरी तरह से भरा गया स्वैच्छिक सूचना प्रकटीकरण फॉर्म (वॉलेंटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़र फॉर्म) प्राप्त होने की तारीख को, उस तारीख से तीन वर्षों से ज्यादा की अवधि न बीती हो जिस तारीख को कथित तौर पर पहली बार ऐसा ट्रेड किया गया जिससे अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ हो।”

II. अनुसूची-घ में,-

i. टिप्पणी में, शब्दों तथा चिहनों “प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के लिए, शब्द तथा चिह्न “अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

ii. सारणी में, भाग III में,-

क. खंड 1 में, शब्दों तथा चिहनों “प्रतिभूति विधियों (सिक्यूरिटीज़ लॉज़) के लिए, शब्द तथा चिह्न “अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों” प्रतिस्थापित हो जाएंगे;

ख. खंड 9 के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

“9. कृपया विस्तार से उल्लेख करें कि आपने जो सूचना प्रस्तुत की है उससे यह कैसे पता चलता है कि अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) संबंधी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, और इसके साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में भी सूचना दी जाए:

(i) उन प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के ब्यौरे, जिनमें कथित तौर पर अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) किया गया;

(ii) वह अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी, जिसके आधार पर कथित तौर पर अंतरंग व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) किया गया;

(iii) वह तारीख, जब अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी जनता के लिए उपलब्ध कराई गई;

(iv) उन परिस्थितियों के ब्यौरे/वह सबूत जिससे यह पता चलता हो कि कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के पास (के कब्जे में) अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी थी;

(v) अंतरंग व्यक्तियों (इनसाइडर)/संदिग्ध व्यक्तियों और उनके ट्रेड [अर्थात् खरीद/बिक्री और कितनी खरीद/बिक्री की गई] के साथ-साथ किए गए ट्रेड की तारीखों/अवधि के ब्यौरे।”

ग. खंड 10 में, शब्दों तथा चिह्न “आधारित है?” के पश्चात्, शब्द तथा चिह्न “कृपया सभी संबंधित दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित प्रतियाँ शामिल करें।” अंतःस्थापित किए जाएंगे।

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./320/2020]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015, सं. एल.ए.डी./एन. आर.ओ./जी.एन./2014-15/21/85 द्वारा, 15 जनवरी 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 तत्पश्चात्, -
 - i. 31 दिसम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/59, द्वारा

- ii. 21 जनवरी, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एलएडी-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/02, द्वारा
- iii. 25 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/23, द्वारा
- iv. 17 सितम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/32, द्वारा
- v. 17 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2020/23, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th October, 2020

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (PROHIBITION OF INSIDER TRADING) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/38.—In exercise of the powers conferred under section 30 read with clause (g) of sub-section (2) of section 11 and clauses (d) and (e) of section 12A of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, namely: –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2020.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, –

- I. in regulation 7A, in sub-regulation (1), in clause (h), after sub-clause (iii), the following explanation shall be inserted, namely-

“Explanation. – Information shall be considered timely, only if as on the date of receipt of the duly completed Voluntary Information Disclosure Form by the Board, a period of not more than three years has elapsed since the date on which the first alleged trade constituting violation of insider trading laws was executed.”;

- II. in Schedule D,

- i. in the note, for the words “securities laws”, the words “insider trading laws” shall be substituted;

- ii. in the table, in the part III,

- a. in clause 1, for the words “securities laws”, the words “insider trading laws” shall be substituted;

- b. for clause 9, the following shall be substituted, namely, -

“9. Please describe in detail how the information submitted by you constitutes a violation of insider trading laws. The details must include specific information with respect to:

- (i) details of the securities in which insider trading is alleged;
- (ii) the unpublished price sensitive information based on which insider trading is alleged;
- (iii) date on which the unpublished price sensitive information was made public;

- (iv) details of circumstances/evidence leading to possession of unpublished price sensitive information by the alleged violator(s);
 - (v) details of insiders/suspects and their trades (i.e. purchase/sale and quantity purchased/sold) along with dates/period of trades.”
- c. in the clause 10, after the words and symbol “based on?” and before the words “Please attach”, the words and symbols “Please include self-certified copies of all the relevant documents.”, shall be inserted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./320/2020]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was published in the Gazette of India on January 15, 2015 *vide* No. LAD-NRO/GN/2014-15/21/85.
2. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 was subsequently amended on,-
 - i. December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/59.
 - ii. January 21, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2019 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/02.
 - iii. July 25, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Second Amendment) Regulations, 2019 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/23.
 - iv. September 17, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Third Amendment) Regulations, 2019 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2019/32.
 - v. July 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2020 *vide* No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2020/23.